की ...0 और ...ारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर ... गई कार्रवा... के बारे में टिप्पणी,तारी... सहित
04.08.2023	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, महुआडांड़ के पत्रांक–328, दिनांक–14.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम अम्बवाटोली के सी0एस0 खाता सं0–71, प्लॉट सं0–100, रकबा 0.08 एकड़ का आर0एस0 खाता सं0–230, प्लॉट सं0–58, रकबा 0.08 एकड़ परिवर्तित होकर बना है, जिसका सी0एस0 एवं आर0एस0 का नक्शा जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक का खतियानी है। प्रस्तावित भूमि का मांग बिक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी II में चलता है। खतियानी रैयत से जमाबंदी रैयत का संबंध स्वयं का है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही राजस्व थाना क्षेत्र के निवासी हैं तथा दोनों अनुसूचित जनजाति के उराँव जाति के हैं। दोनों आदिवासी दम्पति से उत्पन्न सन्तान है। आवेदक के पास ग्राम–अम्बवाटोली में 1.10 एकड एवं ग्राम–एगु में 13.18 एकड़ खतियानी भूमि है, जिसमें से विक्रेता पुत्र की शादी करने हेतु 0.08 एकड़ भूमि बिक्री करना चाहते हैं बिक्री के पश्चात बिक्रेता के पास 14.20 एकड़ भूमि बचता है। प्रस्तावित भूमि की बिक्री के निमित आम इश्तहार का तामिला प्राप्त है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। क्रेता एवं विक्रेता को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। दिनांक–04.08.2023 को विक्रेता कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि मैं अपनी इच्छा से भूमि विक्री करना चाहता हूँ। अतः अंचल अधिकारी, महुआडांड़ के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सिबिरिया टोप्पो, पति–स्व0 मरियानुस कुजूर, ग्राम–अम्बवाटोली, थाना–महुआडांड़, जिला–लातेहार को मौजा–अम्बवाटोली के खाता सं0–230, प्लॉट सं0–58, रकबा 0.08 एकड़ भूमि को सुवन्ती कुजूर, पति–मरतियुस कुजूर, ग्राम–मेढ़ारी, थाना–महुआडांड़, जिला–लातेहार के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत बिक्री करने की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृति आदेश निर्गत करें। 04.08.23 **भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता** **महुआडांड़।**	

Digitally signed by PRABHAT RANJAN CHOUDHARY
Date: 2025.11.21 17:28:43 +05:30
Location: 10.93.47.24